संख्या:209/2022/735/35-4-2022/001-35-5099/2/2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 13 जुलाई, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद वाराणसी में विधान सभा क्षेत्र- पिण्डरा की तहसील-पिण्डरा के ग्राम महगांव (कटेहरा) में राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-38/2020/509/35-4-2020, दिनांक 28 मार्च, 2020 द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुये भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1415.90 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 566.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-107/ 2021/1170/35-4-2021, दिनांक 29 जुलाई,2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 141.59 लाख तथा शासनादेश संख्या-04/2022/9/35-4-2022, दिनांक 03 जनवरी,2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 353.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या-252/ त्व0आ0वि0यो0/2022-23 दिनांक 30 जून,2022 द्वारा उक्त शासनादेशों से अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 1061.92 लाख को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 283.18 (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख अट्ठारह हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त	अवमुक्त धनराशि
राजकीय आई0टी0आई0, विधान सभा क्षेत्र-पिण्डरा की तहसील पिण्डरा के ग्राम महगांव (कटेहरा), वाराणसी का भवन निर्माण कार्य	1415.90	1061.92	283.18

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020, 29 जुलाई, 2021 एवं 03 जनवरी, 2022 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

8- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक- 07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,83,18,000 (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख अट्ठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्षक 42500020 30302 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन निर्माण के चालू कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक- 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:209/2022/735(1)/35-4-2022/001-35-5099/2/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी।
14. अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in